

एवबएदएदए!

यदि आप 18 वर्ष से कम
उम्र की लड़की और 21
वर्ष से कम उम्र के लड़के
की शादी करते हैं तो

आप जेल जा सकते हैं

**वे लोग भी जेल जा
सकते हैं जो**

- ऐसे विवाह में शामिल हुए हो या होते हैं
- ऐसा विवाह कराते हैं
- ऐसे विवाह के आयोजन के किसी भी रूप में हिस्सेदार हैं जैसे की पुजारी / मौलवी, टेंट वाला, कैटर, आदि कोई भी।

**किसी भी नाबालिग की शादी
की सूचना कहाँ दे सकते हैं**

- पुलिस को 112 नम्बर पर।
- चाइल्ड लाइन को 1098 नम्बर पर
- अपने क्षेत्र के बालविवाह रोकथाम अधिकारी (CMPO) जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) / SDO / SDM / DM आदि

आइये मिलकर बनाये बाल विवाह मुक्त भारत